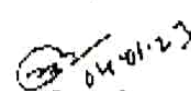


अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटीड़(विद्यासागर)
संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-79/2022

दिनांक	आदेश फलक	पंतव्य
1	2	3
04.01.2023	-आदेश- अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2074/रा0 दिनांक 13.5.16 के साथ सहपठित उपायुक्त, जामताड़ा के आदेश ज्ञापांक 461/रा0, दिनांक-14.5.16 के आधार पर संघारित किया गया है। उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में राजस्व उप निरीक्षक हल्का संख्या-02 ने अंचल निरीक्षक करमाटीड़(विद्यासागर) के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन दिया है कि करमाटीड़(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-शिकरपोसनी, थाना सं0-37, खाता सं0-82/09, दाग सं0-803/B, रकबा-0.84 एकड़ भूमि जमाबंदीदार तिकम पंडित ग्राम- शिकरपोसनी, पोस्ट-मोहनपुर, थाना- करमाटीड़, जिला जामताड़ा के नाम से पंजी-11 में दर्ज है। तथा उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख के साथ स्थल जाँच करने पर पाया कि उक्त भूमि का सर्वे खतियान में किस्म- पुरातन पतित कहकर दर्ज है तथा जमाबंदी पंजी के जमाबंदी न0 82/09 में वर्ष 1983-1984 तक लगान जमा दर्ज है। आगे प्रतिवेदित किया है कि चूंकी पंजी-11 के प्राधिकार कालम में जमाबंदी कायम करने का कोई आधार दर्ज नहीं है तथा जमाबंदीदार के वारिशानो के द्वारा उक्त जमाबंदी का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है अतः जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। प्रतिवेदन के आधार पर वादी को नोटिस देकर कई मौके अपना पक्ष रखने हेतु दिया गया। वादी की ओर से उनके पौत्र शनिचर पंडित ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा है कि उनके पास लगान रसीद सं0-094885 उपलब्ध है जिसे उन्होंने समर्पित किया है। उनका कहना है कि भूमि की बंदोबस्ती के संबंध में उनके पास अन्य कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि उनके द्वारा किसी पुरातन पतित भूमि पर दखल/कृषि कार्य नहीं किया जाता है। वादी के द्वारा बंदोबस्ती संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाने से उपरोक्त वर्णित जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः अंचल करमाटीड़(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा- शिकरपोसनी, थाना सं0-37, के जमाबंदी संख्या-82/09 पर बंदोबस्ती सबधी कोई साक्ष्य या दावा अप्राप्त रहने के कारण जमाबंदी संख्या-82/09 को संदिग्ध मानते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रोत्तर कारवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा को भेजें।  अंचल अधिकारी, करमाटीड़(विद्यासागर), जामताड़ा।	